न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबूलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 37/2019 (GCMS 2019/00079)

प्रार्थीगण

1. बनवारीलाल पचार पुत्र दानाराम जाट उम्र 35 वर्ष निवासी कंवरपुरा तहसील सीकर जिला सीकर हाल कुचामनसिटी जिला नागौर
2. मनीष राड़ पुत्र राजेन्द्रसिंह जाति जाट उम्र 35 वर्ष निवासी बलोद छोटी तहसील फतेहपुर जिला सीकर, राजस्थान

बनाम

अप्रार्थीगण

1. राकेश दवे पुत्र सुरेन्द्र कुमार दवे जाति ब्राह्मण निवासी कुचामनसिटी
2. उप पंजीयक कुचामनसिटी
3. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)।

प्रार्थना–पत्र रास्ता दिलाने बाबत अन्तर्गत धारा 251 (A) R.T.Act 1955

उपस्थित – श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 26-3-2021

प्रस्तुत प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 855/770 रकबा 0.1516 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की दर्ज चली आ रही है, ग्राम मण्डावरा के खसरा नम्बर 758/754 रकबा 0.2989 हैक्टर अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी की दर्ज चली आ रही है, प्रार्थीगण की भूमि में आने–जाने का कोई कटाणी रास्ता नही है व न ही कोई मार्ग है, उपरोक्त भूमि में मौके पर रास्ता बना हुआ है जो कि मौके पर रास्ते के ही रूप में काम लिया जा रहा है वर्तमान में रास्ता बना हुआ है, प्रार्थीगण की भूमि तक आने–जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता है जो मौके पर खसरा नम्बर 758/754 रकबा 0.2989 हैक्टर भूमि में से खसरा नम्बर 855/770 रकबा 0.1516 हैक्टर तक जाने के लिए रास्ता की जरूरत है इसलिए रास्ते का प्रार्थना–पत्र लाना आवश्यक हुआ है, उपरोक्त भूमि तक आने जाने हेतु 30 फीट रास्ते की आवश्यकता है, प्रार्थीगण की इस्तदुआ है कि ग्राम मण्डावरा की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 855/770 रकबा 0.1516 हैक्टर भूमि में आने–जाने के लिए खेत खसरा नम्बर 758/754 रकबा 0.2989 हैक्टर भूमि मे से 7 मीटर चौड़ाई के रास्ते की आवश्यकता है प्रार्थी [illegible] डी.एल.सी. दर से जो मुआवजा बनता है वह अप्रार्थी सं. 1 को [illegible] व उक्त रास्ते को [illegible] रास्ता दर्ज कर राजस्व रेकार्ड व नक्शा ट्रेस में तरमीम [illegible] किया जाने का आदेश तहसीलदार कुचामनसिटी को प्रदान करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:39:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया, अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार कुचामनसिटी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। शामिल मिसल उपलब्ध है। प्रार्थीगण की ओर से चालू जमाबन्दी के नकले एवं नक्शा ट्रेस की प्रतिया प्रस्तुत की गई जो शामिल मिसल उपलब्ध है।

वकील प्रार्थी की एक–पक्षीय बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। नकल खतौनी ग्राम मण्डावरा सम्वत 2073–2076 खसरा नम्बर 855 / 770 रकबा 0.1516 हैक्टर बारानी प्रथम बनवारीलाल पचार पुत्र दानाराम हिस्सा 587 / 1516 जाति जाट सा. कंवरपुरा तह. सीकर जिला सीकर खातेदार मनीष राड़ पुत्र राजेन्द्रसिंह हिस्सा 929 / 1516 जाति जाट सा. बलोद छोटी तह. फतेहपुर जिला सीकर खातेदार दर्ज है, खसरा नम्बर 753 / 218 रकबा 0.1157 हैक्टर खसरा नम्बर 754 / 218 रकबा 0.0682 हैक्टर खसरा नम्बर 758 / 754 रकबा 0.2989 हैक्टर कुल रकबा 0.4828 हैक्टर में राकेश दवे पुत्र सुरेन्द्र कुमार दवे हिस्सा पूर्ण जाति ब्राहम्ण सा. कुचामनसिटी खातेदार दर्ज है। तहसीलदार कुचामनसिटी के पत्रांक / राजस्व / 2019 / 553 दिनॉक 10.10.2019 द्वारा मौका रिपोर्ट 13.08.2019 इस न्यायालय में प्रस्तुत होकर छाया प्रति शामिल मिसल उपलब्ध है। जिसके अनुसार मौके पर खसरा नम्बर 758 / 754 में से नजरी नक्शामें लाल पेन से दर्शित स्थल जो कि मेगाा हाईवे सड़क से खसरा नम्बर 755 / 770 तक रास्ता के रूप में काम आ रहा है, इसकी लम्बाई 136 मीटर एवं चौड़ाई 9.15 मीटर कुल 1244.40 वर्ग मीटर है।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौके पर प्रश्नगत भूमि जो कृषि भिन्न प्रयोजन काम ली जा रही है तथा कृषि भूमि का स्वरूप परिवर्तन किया गया है तथा सम्पूर्ण भूमि का उपयोग मौके पर गैर–कृषिक कार्यो के लिए किया जा रहा है तथा पटवारी हल्का ने भी प्रश्नगत भूमि का कृषि उपयोग बाबत जिक्र अपनी रिपोर्ट में कही पर भी नही किया गया है। प्रार्थीगण की भूमि का रकबा 0.1516 हैक्टर है जो कृषि योग्य मौके पर नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए में स्पष्ट है कि रास्ते के लिए भूमि तब ही दी जा सकती है जब *"कोई अभिधारी अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना चाहता है या कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी [illegible] तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग [illegible] है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है।"* इस प्रकार मौके पर कृषि भूमि का न रहना ही अपने आप में प्रकरण 251 ए की श्रेणी में नही आता है साथ ही प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र किसी भी रूप में साबित नही होने से काबिल खारिज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:39:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

आदेश

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण 251 ए की श्रेणी का नही होने एवं साबित नही होने से खारिज किया जाता है।

आज सरे इजलास आज दिनॉक 26/03/2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट **RAS**)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:39:19 IST
Reason: SelfAttested